Need for separate reservation for the most backward castes of reserved category in the country

श्री कृष्ण लाल बाल्मीकि (राजस्थान): उपसभाध्यक्ष महोदय, भारतीय संविधान की धारा 16(4) के अनुसार सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान देश के उन पिछड़े वर्गों के नागरिकों के लिए है, जिनका राज्य सरकार की राय में प्रशासन में नाममात्र का प्रतिनिधित्व हो। इस दिशा में पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश ने पहल की थी और अपने राज्यों में अनुसूचित जातियों में से शैक्षणिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियों का वर्गीकरण करके उनकी जनसंख्या के आधार पर उनको आरक्षण का लाभ दिया था। इस वर्गीकरण से उन जातियों को पिछले 10 वर्षों में आरक्षण का पूरा लाभ मिला और ये अन्य जातियों की बराबरी में आ गई थीं, लेकिन कुछ अग्रणी जातियां जो इस आरक्षण का अधिकतम लाभ उठा रही थीं, उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करके इस लाभ पर रोक लगवा दी। इससे अति पिछड़ी जातियों को अत्यधिक हानि हुई। इस विसंगति को देखते हुए केन्द्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग गठित किया गया था, लेकिन तीन वर्ष बीत जाने के बावजूद अभी तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई है। दबे, कुचलों, पिछड़े लोगों को समाज की मुख्य धारा तक पहुंचाने और उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए आरक्षण का प्रावधान रखा गया, लेकिन बाद में आरक्षण का फारमूला वोट बैंक का रूप लेता गया। संविधान में किए गए प्रावधान के अनुसार हर दस वर्ष बाद इस आरक्षण की समीक्षा होती है, पर हम आरक्षण के प्रावधान को साठ साल तक उसी रूप में जारी रखे हुए हैं। कुछ जातियों के कुछ परिवारों में तो पूरा कुनबा ही अच्छे-अच्छे पदों पर काबिज है, उनके बच्चे भी इन पदों पर पहुंचते जा रहे हैं और वे ही राजनीतिज्ञों पर दबाव बनाकर आरक्षण की इस परंपरा को यथावत बनाए हुए हैं।

अत: सरकार से मेरा अनुरोध है कि आरक्षित वर्ग में जिन जातियों को आरक्षण का उचित लाभ नहीं मिला है, उनके लिए केन्द्र एवं राज्य, दोनों स्तरों पर उनकी जनसंख्या के आधार पर वर्गीकरण के माध्यम से अलग कोटे की व्यवस्था की जाए, जिससे डा. भीमराव अम्बेडकर का सपना पूरा हो सके और ये अति पिछड़ी जातियां भी समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सकें।

श्री रुद्रनारायण पाणि: मैं अपने को इस विशेष उल्लेख के साथ सम्बद्ध करता हूं।

श्री भागीरथी माझी (उड़ीसा): मैं अपने को इस विशेष उल्लेख के साथ सम्बद्ध करता हूं।

Need to give special package and set up a Bundelkhand Authority for development in Bundelkhand region of Uttar Pradesh

श्री महेन्द्र मोहन (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, इस विशेष उल्लेख के माध्यम से मैं सदन का ध्यान उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड प्रभाग में व्याप्त गरीबी, भुखमरी और किसानों की समस्याओं के प्रति दिलाना चाहता हूं। किसी समय यह क्षेत्र तमाम वीरगाथाओं के लिए प्रसिद्ध था। झांसी, महोबा, हमीरपुर, जालौन, ललितपुर और बांदा की धरती वीर प्रसविनी के नाम से मशहूर थी। आज वहां से आए दिन किसानों की आत्महत्या, गांवों से लोगों के पलायन, कुपोषण और भुखमरी की खबरें आती हैं। तमाम गांवों में सिर्फ बुजुर्ग लोग ही बचे हैं, बाकी लोग, महिलाएं, बच्चे और जवान घर छोड़कर जा चुके हैं।

महोदय, इस क्षेत्र में NREGA से लेकर PDS तक सारे ग्रामीण कार्यक्रम भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुके हैं। इस क्षेत्र में पानी की भयंकर कमी है, जिसका असर कृषि से लेकर पशुपालन पर पड़ रहा है। सूखे ने हालात और नाजुक बना दिए हैं। वहां पर तुरन्त युद्ध स्तर पर सिंचाई और पानी की व्यवस्था के लिए प्रयासों की जरूरत है। इसके साथ ही किसानों और लघु उद्योग के लिए लोगों को पर्याप्त ऋण की आवश्यकता है। अकेले